भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 3415

दिनांक 7 अगस्त, 2026 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

स्वास्थ्य सेवाओं पर आउट-ऑफ-पॉकेट व्यय

3415. एडवोकेट गोवाल कागडा पाडवी:

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में परिवारों द्वारा स्वास्थ्य सेवाओं पर अपनी ओर से किए गए व्यय(आउट-ऑफ-पॉकेट) की परिभाषा क्या है तथा उसका राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) गत पाँच वर्षों के दौरान देश में स्वास्थ्य सेवाओं पर अपनी ओर से किए गए व्यय का प्रति परिवार राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) परिवारों द्वारा अपनी ओर से स्वास्थ्य सेवाओं पर किए जाने वाले व्यय को कम करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा (एनएचए) के अनुसार, परिवार द्वारा अपनी जेब से किया गया व्यय (ओओपीई) वह व्यय है जो परिवार/व्यक्ति स्वास्थ्य सेवाएँ प्राप्त करते समय भुगतान करता है। इसमें अंतरंग रोगी परिचर्या, बाह्य रोगी परिचर्या, प्रसव, प्रसवपूर्व परिचर्या (एएनसी), प्रसवोत्तर परिचर्या (पीएनसी), परिवार नियोजन के साधन उपकरण, चिकित्सीय सहायक के साधन, रोगी के परिवहन पर व्यय, प्रतिरक्षीकरण, बिना पर्चे के मिलने वाली दवाएँ तथा अन्य चिकित्सीय व्यय (जैसे रक्त, ऑक्सीजन आदि) पर होने वाले सभी खर्च शामिल हैं; और इनमें किसी भी प्रकार की प्रतिपूर्ति (बीमा/परोपकारी दान आदि) को घटाकर प्राप्त किया जाता है।

(ख) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रकाशित *भारत के राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा आकलन* देश में प्रति परिवार स्वास्थ्य परिचर्या पर जेब से किए गए व्यय (ओओपीई) का डेटा संधारित नहीं करते हैं। तथापि, एनएचए आकलनों से उपलब्ध डेटा के अनुसार, पिछले पाँच वर्षों के दौरान देश में स्वास्थ्य सेवा पर प्रति व्यक्ति जेब से होने वाला व्यय (ओओपीई) निम्नानुसार है:

वर्ष	**2018-19**	**2019-20**	**2020-21**	**2021-22**	**2022-23**
वर्तमान मूल्यों पर प्रति व्यक्ति ओओपीई (रु.)	2,155	2,289	2,415	2,600	2,767

इसके अतिरिक्त, प्रति व्यक्ति जेब से किए जाने वाले व्यय का राज्य-वार विवरण अनुलग्नक में दिया गया है।

(ग) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (एमओएचएफ़डब्ल्यू) विभिन्न केंद्र प्रायोजित योजनाओं और केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं के माध्यम से पूरे देश में किफायती स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार और स्वास्थ्य अवसंरचना को सुदृढ़ करने के लिए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रयासों का अनुपूरण करता है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम), आयुष्मान भारत–प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी पीएम-जेएवाई), प्रधानमंत्री–आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन (पीएम-एबीएचआईएम), प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (पीएमएसएसवाई) जैसी योजनाओं का कार्यान्वयन कर रहा है।

सरकार ने एनएचएम के तहत, लोगों को सुलभ और किफायती स्वास्थ्य सेवाएँ उपलब्ध कराने में राज्य सरकारों को सहयोग प्रदान करके सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज की दिशा में कई कदम उठाए हैं। निवारक, स्वास्थ्य संवर्धक, उपचारात्मक, उपशामक और पुनर्वास सेवाओं सहित व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं की विस्तारित श्रृंखला प्रदान करने के लिए देशभर में 1.87 लाख आयुष्मान आरोग्य मंदिर (एएएम) संचालित किए गए हैं। इनमें प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य परिचर्या सेवाएँ, संचारी और गैर-संचारी रोगों से संबंधित सेवाएँ, तथा स्वास्थ्य से जुड़े अन्य अनेक प्रकार के मुद्दे शामिल हैं।

राष्ट्रीय निःशुल्क दवा सेवा पहल और निःशुल्क नैदानिक सेवा पहल को आवश्यक दवाओं और नैदानिक सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने तथा जन स्वास्थ्य सुविधा केंद्रों में आने वाले मरीजों के उनके जेब से होने वाले व्यय को कम करने के लिए लागू किया गया है। इसमें राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को एएएम-उप स्वास्थ्य केंद्रों के लिए 113 दवाओं, एएएम-प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के लिए 179, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों के लिए 301, उप-जिला अस्पतालों के लिए 318 और जिला अस्पतालों के लिए 381 दवाओं हेतु वित्तीय सहायता देना

शामिल है। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकारों के सहयोग से प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना (पीएमबीजेपी) के तहत सभी के लिए किफायती मूल्यों पर गुणवत्तापूर्ण जेनेरिक दवाइयाँ उपलब्ध कराई जाती हैं। उपचार हेतु किफायती दवाइयाँ और विश्वसनीय इम्प्लांट्स (अमृत) फ़ार्मेसी स्टोर कुछ अस्पतालों/संस्थानों में स्थापित किए गए हैं।

इसके अतिरिक्त, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी पीएम-जेएवाई) भारत की आर्थिक रूप से कमजोर निचले 40% आबादी का प्रतिनिधित्व करने वाले 12 करोड़ से अधिक परिवारों को मध्यम और विशिष्ट स्तर की अस्पताल में भर्ती उपचार सेवाओं के लिए प्रति परिवार प्रति वर्ष ₹5 लाख तक का स्वास्थ्य कवरेज प्रदान करती है। एबी पीएम-जेएवाई लागू करने वाले राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने अपने स्वयं के खर्च पर लाभार्थियों का दायरा और भी बढ़ाया है। इसके अतिरिक्त, वय वंदना कार्ड के साथ इस योजना का विस्तार करके एबी पीएम-जेएवाई के अंतर्गत 4.5 करोड़ परिवारों के 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के 6 करोड़ वरिष्ठ नागरिकों को उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति को देखे बिना इसमें शामिल किया गया है।

अनुलग्नक

दिनांक 07.08.2026 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3415 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

प्रति व्यक्ति जेब से किए गए व्यय का राज्यवार विवरण (ओओपीई)

(रुपए में)

क्र. सं.	**राज्य**	**2018-19**	**2019-20**	**2020-21**	**2021-22**	**2022-23**
1	असम	949	998	1064	1180	1237
2	आंध्र प्रदेश	3140	3254	3576	3834	4117
3	बिहार	811	863	911	984	1043
4	छत्तीसगढ़	1175	1253	1356	1419	1475
5	गुजरात	1606	1687	1811	1942	2080
6	हरियाणा	2193	2358	2510	2647	2923
7	जम्मू और कश्मीर	1363	1450	1443	1581	1701
8	झारखंड	1915	2000	2108	2243	2394
9	कर्नाटक	1625	1722	1810	1933	2049
10	केरल	6772	7206	7669	7889	8388
11	मध्य प्रदेश	1409	1500	1603	1739	1842
12	महाराष्ट्र	2644	2779	2950	3184	3381
13	ओडिशा	1750	1926	2002	2133	2245
14	पंजाब	3065	3313	3470	3668	3829
15	राजस्थान	1745	1856	1896	2048	2178
16	तमिलनाडु	1909	2034	2191	2280	2448
17	उत्तर प्रदेश	2481	2670	2775	3014	3219

18	उत्तराखंड	1216	1317	1437	1560	1593
19	पश्चिम बंगाल	3208	3425	3648	4010	4183
20	तेलंगाना	1982	2125	2234	2449	2697
21	हिमाचल प्रदेश	3180	3397	3591	3844	4047

स्रोत: राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा आकलन 2018,2019,2020,2021,2022.

नोट: 1. आकलनों में प्रयुक्त सर्वेक्षणों में जेब से होने वाले व्यय (ओओपीई) की गणना के लिए राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय द्वारा आयोजित 75वें दौर का स्वास्थ्य एवं रुग्णता सर्वेक्षण (जुलाई 2017–जून 2018), तथा पब्लिक हेल्थ फ़ाउंडेशन आफ इण्डिया द्वारा उद्यमों पर स्वास्थ्य व्यय सर्वेक्षण (2013–14) और गैर-सरकारी संगठनों/एनपीआईएसएच द्वारा स्वास्थ्य व्यय के लिए असंगठित क्षेत्र के उद्यमों का वार्षिक सर्वेक्षण (एएसयूएसई) 2022–23 एवं 2023–24 शामिल हैं। इन सर्वेक्षणों से गणना किए गए व्यय का उपयोग राष्ट्रीय स्तर पर स्वास्थ्य लेखों के आकलनों तक पहुँचने के लिए किया जाता है। तथापि, उप-राष्ट्रीय स्तर पर, विशेषकर संघ राज्य क्षेत्रों, छोटे राज्यों और उत्तर-पूर्वी राज्यों के लिए स्वास्थ्य लेखों के आकलन/संकेतकों की गणना करते समय, इन क्षेत्रों के लिए सर्वेक्षण में अपनाए गए छोटे नमूना आकार के कारण प्राप्त मान महत्वपूर्ण नहीं होते हैं।
